



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072023-247092
CG-DL-E-06072023-247092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]
No. 470]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2023/आषाढ 14, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2023

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (644).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकरता है:

1) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (615) दिनांक 5 जून 2023 (प्रकाशित दिनांक 6 जून 2023)

अनुसूची के क्रम संख्या 11, कॉलम (5) में — '1 जुलाई 2023' को '31 दिसम्बर 2023' से प्रतिस्थापित करें।

2) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (618) दिनांक 13 जून 2023 (प्रकाशित दिनांक 13 जून 2023)

अनुसूची के क्रम संख्या 2, कॉलम (5) में — '13 दिसम्बर 2023' को '31 दिसम्बर 2023' से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या 3, कॉलम (4) में — 'लागू नहीं' को 'आई एस 15844 : 2010 खेल के जूते — विशिष्ट' से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में — 'लागू नहीं' को '31 दिसम्बर 2023' से प्रतिस्थापित करें।

3) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (620) दिनांक 12 जून 2023 (प्रकाशित दिनांक 13 जून 2023)

अनुसूची के क्रम संख्या 5, कॉलम (5) में — '9 सितम्बर 2023' को '31 दिसम्बर 2023' से प्रतिस्थापित करें।

पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./251/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th July, 2023

Ref: HQ-PUB-BIS (644).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Extraordinary vide HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (615) dated 5 June 2023 (Published on 6 June 2023)

SI No. 11, column (5) of schedule — Substitute '31 December 2023' for '1 July 2023'.

2) Extraordinary vide HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (618) dated 13 June 2023 (Published on 13 June 2023)

SI No. 2, column (5) of schedule — Substitute '31 December 2023' for '13 December 2023'.

SI No. 3, column (4) of schedule — Substitute 'IS 15844 : 2010 Sports Footwear — Specification' for 'NA'.

SI No. 3, column (5) of schedule — Substitute '31 December 2023' for 'NA'.

3) Extraordinary vide HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (620) dated 12 June 2023 (Published on 13 June 2023)

SI No. 5, column (5) of schedule — Substitute '31 December 2023' for '9 September 2023'.

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./251/2023-24]